

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
मरेप्र/कार्मिक/सोनपुर

No.ECR-SEE0PERS(ESTT)/252/2020 (Com No. 23066)

दिनांक : 21.11.2025

सर्व संबंधित
पूर्व मध्य रेल
सोनपुर

अधिसूचना

विषय : यातायात निरीक्षक/मरेप्र सेल, सोनपुर के 02 पदों क्रमशः एक कार्यरत कर्मचारियों एवं एक सेवानिवृत्त यातायात निरीक्षक से संविदा आधार पर पुनर्नियोजन (Re-engagement) द्वारा रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में।

सोनपुर मंडल/पूर्व मध्य रेल से यातायात निरीक्षक, लेवल-07 के दो पदों क्रमशः क्रमशः एक कार्यरत कर्मचारियों एवं एक सेवानिवृत्त यातायात निरीक्षक से संविदा आधार पर रि-इंगेजमेंट द्वारा रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विकल्प/आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

विवरण निम्न प्रकार है:

क्रस	पद	पात्रता मानदंड
01	यातायात निरीक्षक, लेवल – 7 या 8	i) परिचालन विभाग के स्टेडी/यातायात निरीक्षक (लेवल – 7 या 8) केवल सोनपुर मंडल के कर्मचारी इसके लिए पात्र हैं। ii) कम से कम 05 वर्ष का TI कार्यों में अनुभव होना चाहिए iii) आवश्यक चिकित्सा श्रेणी : ए-2 iv) कार्यकाल अवधि: 02 वर्ष (आवश्यकतानुसार घटाई-बढ़ाई जा सकती है) v) प्रतिनियुक्ति के लिए चयनित कर्मचारी को उनके मूल ग्रेड-पे/वेतन पर मूल पदनाम के साथ ही प्रतिनियुक्ति किया जायेगा तथा इनका लियन एवं वरीयता पैतृक विभाग में नियमानुसार अनुरक्षित रहेगी। vi) चयनित उम्मीदवार को किसी भी प्रकार का प्रशासनिक सुविधा देय नहीं होगा, यथा-सीटीजी, स्थानांतरण अवकाश, प्रतिनियुक्ति भत्ता इत्यादि। vii) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना कर्मचारी द्वारा दिये गये विकल्प (निजी अनुरोध) पर होगा, इसलिए किसी प्रकार की प्रशासनिक सुविधा देय नहीं होगी। viii) कर्मचारी डी एण्ड आर तथा विज. केस से मुक्त होना चाहिए। ix) विकल्प देने की अंतिम तिथि 11.12.2025 x) वर्णित नियम एवं शर्तों के अधीन यातायात निरीक्षक पद हेतु कर्मचारी प्रोफार्मा –‘A’ में दिए गए निर्धारित प्रपत्र पत्र पर अपना आवेदन दिनांक 05.12.2025 तक एकल खिड़की व्यवस्था के माध्यम से जमा करेंगे।

यातायात निरीक्षक, लेवल – 7 या 8 का रि-इंगेजमेंट सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा	1. सोनपुर मंडल के सेवानिवृत्त कर्मचारी आवेदन देने के लिए पात्र होंगे। 2. यातायात निरीक्षक पद के लिए कम से कम 05 वर्ष कार्य का अनुभव होना चाहिए। 3. रेल सेवा में पुनर्नियोजन 65 वर्ष की उम्र तक होगी। 4. पुनर्नियोजन की वैधता एक वर्ष तक रहेगी। 5. यदि नियोजित सेवानिवृत्त कर्मचारी का कार्य/आचरण असंतोषजनक पाया जाता है तो उनका पुनर्नियोजन एक सप्ताह के नोटिस पर समाप्त करने हेतु प्रशासन स्वतंत्र होगा। 6. इस योजना में ऐसे कर्मचारी जो अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त/पदच्युत/सेवा से बर्खास्त किये गये हो और संरक्षा संबंधी सेवा निवृत्ति योजना (SRSS)/संरक्षा कोटि पर लागू उदारीकृत सक्रिय सेवानिवृत्ति योजना (LARSGESS) के अंतर्गत स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हुए हों, वैसे कर्मचारी आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। 7. पुनर्नियोजित किए गए सेवानिवृत्त कर्मचारी का मासिक पारिश्रमिक का निर्धारण उसके/उसकी अंतिम आहरित वेतन (Basic Pay + DA) से पेंशन राशि घटाकर की जाएगी तथा अन्य कोई भत्ता/पारिश्रमिक देय नहीं होगा। 8. सेवा के प्रत्येक पूरे महीने के लिए 1.5 दिन का सवेतन अवकाश दिया जा सकता है। एक कैलेंडर वर्ष से अधिक अवकाश संचय की अनुमति नहीं दी जा सकती है। 9. पुनर्नियोजन के लिए आवेदनकर्ता की उपयुक्तता एवं सक्षमता का निर्धारण विधिवत गठित कमिटी द्वारा की जाएगी। 10. पुनर्नियोजन वांछित कोटि में निर्धारित चिकित्सीय कोटि के अधीन होगी। 11. पुनर्नियोजित कर्मचारी का सामान्य कार्य के घंटे वही होंगा जो सामान्य प्रकार से नियुक्त कर्मचारी पर लागू है। 12. आपके पुनर्नियोजन से संबंधित रेलवे बोर्ड द्वारा जारी समस्त विनिर्दिष्ट नियम आप पर लागू होंगे तथा भविष्य में भी समय-समय पर पुनर्नियोजन से संबंधित रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नियमों-उपनियमों के तहत आपकी पुनर्नियोजन संचालित होगी एवं आप इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे। 13. कर्मचारी डी एण्ड आर तथा विज. केस से मुक्त होना चाहिए। 14. यह पुनर्नियोजन पूर्णतः अस्थायी है। 15. आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
---	--

	(i) सेवा प्रमाणपत्र (ii) पेंशन पहचान पत्र (iii) पेंशन भुगतान आदेश (iv) अंतिम वेतन-पर्ची (v) बैंक पासबुक की छायाप्रति (vi) नवीनतम दो पासपोर्ट साईज फोटो (vii) आधार कार्ड एवं पैनकार्ड की छायाप्रति 16. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 02.12.2025 तक होगी। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। 17. अधिसूचना की प्रति अनुलग्नकों सहित सोनपुर मंडल के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। उपर्युक्त वर्णित नियम एवं शर्तों के अधीन पुनर्नियोजन के लिए इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रोफार्मा –‘B’ में दिए गए निर्धारित प्रपत्र पत्र पर अपना आवेदन दिनांक 11.12.2025 तक एकल खिड़की व्यवस्था के माध्यम से जमा करेंगे।
--	---

उपरोक्त पर मंडल रेल प्रबंधक/सोनपुर का अनुमोदन प्राप्त है।

Digitally signed by
RAVI KUMAR PANDIT

Date: 21-11-2025

17:48:29 (रवि कुमार पंडित)

सहायक कार्मिक अधिकारी-III/सोन
कृते मंडल रेल प्रबंधक/कार्मिक/सोनपुर

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

- 1) महाप्रबंधक/कार्मिक/हाजीपुर
- 2) निजी सचिव/मरेप्र/सोनपुर – मरेप्र महोदय को सादर सूचनार्थ।
- 3) अमरेप्र/सोनपुर
- 4) वमकाधि/सोनपुर
- 5) वमविप्र/सोनपुर
- 6) वमपचाप्र/सोनपुर
- 7) जनसंपर्क अधिकारी/सोनपुर
- 8) समापक अनुभाग एवं सभी CSWI – कृपया अपने-अपने बीट में व्यापक प्रचार-प्रसार करें।
- 9) मंडल सचिव/ईसीआईयू, ओबीसी, अजा-अजजा एसो./सोनपुर मंडल।
- 10) सूचना पट्ट सोनपुर

प्रोफार्मा – A

सेवा में
मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
पूर्व मध्य रेल
सोनपुर

विषय: मंडल रेल प्रबंधक/सोनपुर के अधीन यातायात निरीक्षक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने हेतु विकल्प।

संदर्भ: अधिसूचना सं०: ECR-SEE0PERS(CONF)/0047/2025 दिनांक: 21.11.2025

संदर्भित विषय के आलोक में मैं यातायात निरीक्षक के पद पर मंडल रेल प्रबंधक/सोनपुर के अधीन प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्य करने हेतु विकल्प देता हूँ। मेरा सेवा विवरण निम्नवत् है:

01	कर्मचारी का नाम		फोटो
02	पिता का नाम		
03	कर्मचारी संख्या		
04	वर्तमान पदनाम		
05	जन्म तिथि		
06	नियुक्ति तिथि		
07	विभाग		
08	कार्यरत स्थल		
09	लियन		
10	वर्तमान वेतन एवं पे लेवल I(Regular or MACP)		
11	वर्तमान पद/लेवल में पदोन्नति तिथि।		
12	शैक्षणिक योग्यता		
13	डी.ए. आर/एसपीई/विज. मामलो की वर्तमान स्थिति		

आवेदक का हस्ताक्षर
दिनांक

पर्यवेक्षक का अग्रसारण/हस्ताक्षर एवं मुहर

संवर्ग अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रोफार्मा- 'B'

पूर्व मध्य रेल
पूर्व मध्य रेल से सेवा निवृत्त रेल कर्मचारियों के पुनर्नियोजन हेतु आवेदन
अधिसूचना सं०: **ECR-SEE0PERS(CONF)/0047/2025** दिनांक 21.11.2025

सेवा में,

वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी
भर्ती अनुभाग, मंडल रेल प्रबंधक (का०)/कार्यालय
सोनपुर, 841101

मैं पूर्व मध्य रेल के सोनपुर मंडल में उपरोक्त अधिसूचना में उल्लेखित नियमों एवं शर्तों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर पुनर्नियोजन हेतु आवेदन करता हूँ। मेरा सेवा विवरण निम्नवत् है:-

1. नाम :
2. पिता :
3. सेवा निवृत्ति के समय धारित पद :
4. किस मंडल/विभाग/यूनिट से सेवा निवृत्त हुये :
5. जन्म तिथि :
6. नियुक्ति तिथि :
7. सेवा निवृत्ति की तिथि :
8. शैक्षणिक योग्यता :
9. पे बैंड+ग्रेड पे/पे लेवल(सेवा निवृत्ति के समय):
10. आवेदित कोटि/पद पर की गयी सेवा अवधि:
11. यदि सामान्य सेवा निवृत्ति के अलावे सेवा निवृत्त हुए हैं तो निम्न पर चिन्ह लगावें

Self-Attested
Photograph of
retd. Railway
Employee

Voluntary Retirement	Compulsory retirement/Dismissal/Removal	LARSGESS/SRESS	Other

12. पत्राचार का पता (पिन नम्बर सहित):
13. मोबाईल नम्बर:
14. ई-मेल आई डी:
15. अंतिम आहरित मूल वेतन एवं वेतन बैंड:
16. बेसिक पेंशन:
17. सेवा निवृत्ति के समय मेडिकल कोटि:
18. पी.पी.ओ. नम्बर:
19. संलग्नक दस्तावेज
 - a. सेवा प्रमाण पत्र/पेंशनर पहचान पत्र
 - b. पेंशन भुगतान आदेश
 - c. अंतिम वेतन पर्ची
 - d. बैंक पासबुक की छायाप्रति
 - e. नवीनतम 05 पासपोर्ट साईज फोटो।
 - f. आधार कार्ड की छायाप्रति।
 - g. पैन कार्ड की छायाप्रति।

मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है। यदि किसी प्रकार की गलत सूचना पाया जाता है तो मैं दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूँ। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि अधिसूचना में दिये गये निर्धारित नियमों एवं शर्तों को निष्ठापूर्वक पालन करूँगा। मैं SRSS/LARSGESS एवं Medical Unfit for all categories से सेवा निवृत्त नहीं हुए हूँ। 15 दिन की पूर्व सूचना पर, बिना कोई स्पष्टीकरण या कारण बताये मेरा पुनर्नियोजन समाप्त किया जा सकता है।

दिनांक:

स्थान:

.....

सेवा निवृत्त कर्मचारी का हस्ताक्षर